

कार्यालय कलेक्टर रायपुर  
ज्ञापन

कमॉक 896/ भू अर्जन / 2017 / 578  
प्रति, 2

रायपुर दिनांक 16.2017  
20

- 1:- प्रभारी अधिकारी (नाजरात शाखा)  
जिला कार्यालय रायपुर
- 2:- अनुविभागीय अधिकारी( राजस्व) अभनपुर
- 3:- प्रभारी अधिकारी (N.I.C)जिला कार्यालय रायपुर
- 4:- तहसीलदार अभनपुर

विषय :- लोक प्रयोजन हेतु नया रायपुर में रेल्वे स्टेशन एवं रेल्वे लाईन निर्माण हेतु सामाजिक सामाघात प्रबंधन- रिपोर्ट का प्रकाशन के संबंध में ।

-00000-

भूमि अर्जन पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार( सामाजिक समाघात निर्धारण, सहमति तथा जन सुनवाई नियम 2016 के तहत गठित दल द्वारा लोक हित तहत गठित दल द्वारा नया रायपुर में रेल्वे स्टेशन एवं रेल्वे लाईन निर्माण हेतु ग्राम झांकी तहसील अभनपुर की कुल खसरा नं .09 का कुल रकबा 2.44 हे. के अर्जन के संबंध में सामाजिक सामाघात प्रबंधन/ रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है, जिसकी प्रति सलंग्न है। जिसका प्रकाशन छ.ग. शासन की वेबसाइड ग्राम / वार्डों में सहजदृश्य स्थानों पर चस्पा कर प्रकाशित करने, मुनादी कराने एवं जिला कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी तहसीलदार कार्यालय पर प्रकाशन किया जाना है।

अतः अपने क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक समाघात प्रबंधन/ रिपोर्ट का प्रकाशन करा जाकर उसकी एक प्रति भेजना सुनिश्चित किया जावे ।  
सलंग्न- उपरोक्तानुसार

20/19/08  
कलेक्टर,  
रायपुर( छ.ग.)

सामाजिक सामाघात प्रबंधन / रिपोर्ट

पुर कलेक्टर के जाप क्रमांक 184/भूमि - अर्जन/2016, रायपुर दिनांक 08/02/2017 के अनुसार भूमि - अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार सामाजिक सामाघात निर्धारण तथा जनसुनवाई अधिनियम 2016 के अंतर्गत, रेल्वे स्टेशन एवं लाईन निर्माण हेतु स्थान - ग्राम झांकी के 2.44 हेक्टर निजी भूमि का भूमि अर्जन किया जाना है। परियोजना का कुल लागत अनुमानित रु. 2,93,57,970/- है जिसके लिए समाघात - सामाजिक समाघात दल का गठन किया गया है एवं भूमि अर्जन के अनुकूलों पर एवं कमी करने के उपाय पर विचार किया गया किन्तु भूमि अनुकूल्य नहीं पाया गया। जनसुनवाई तथा अन्य बैठकों द्वारा सामाजिक क्षति ज्ञात की गई। कुल अर्जित किए जाने वाली भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	खसरा नं.	भू स्वामी	कुल रकबा (हे.)	अर्जित हेतु रकबा (हे.)
1	555/1	द सो आफ सेन्ट ग्रा. पो. विपं. कं. पिता /पति का नाम द्वारा बदर मामी व्ही जे पिता जोसेफ बडके अध्यक्ष पता सा. रायसेन रोड़ भोपाल स्वामित्व भू- स्वामी	0.59	0.20
	556/2		1.07	0.46
2	556/1	रजा सिद्दकी वल्द मोइनुद्दीन	0.67	0.45
3	565	मोहम्मद हुसैन पिता अब्दुल रऊफ	1.49	0.52
4	566	रजनी पति लालचंद अग्रवाल	0.48	0.11
5	567	लालचंद वल्द भगवानदास अग्रवाल	1.20	0.29
6	568/2	आत्मबोध पिता लालचंद अग्रवाल	0.53	0.01
7	568/1	युगबोध पिता लालचंद अग्रवाल	1.04	0.29
	569/2		0.53	0.11

भूमि - अर्जन के लिए अर्जित की गई भूमि प्रभावित व्यक्तियों के जीविका का आंशिक स्रोत है एवं भूमि भी आंशिक प्रभावित है। इस परियोजना से किसी भी प्रकार की सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षति नहीं हुई है, इस हेतु किसी प्रकार की सामाजिक सामाघात प्रबंधन की आवश्यकता नहीं है।

प्रभावित भूस्वामि जिसके जीविका आंशिक स्रोत को क्षति हुई है, जिनका आर्थिक सहयोग, उन्हें नियमानुसार भूमि - अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार के तहत मुआवजा उपलब्ध कराया जाना है।

हीरा रात्रे

हीरा/रमेश रात्रे

जनपद सदस्य

जनपद पंचायत अभनपुर

हस्ताक्षर

अध्यक्ष - श्रीमति हीरा रमेश रात्रे (जनपद सदस्य) झांकी

सदस्य - श्री सुमीत राठौर, गैर शासकीय सामाजिक वैज्ञानिक (हेल्प एण्ड हेल्पस समिति)

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

सदस्य - श्री रमेश यादव, निरमल ग्राम पंचायत झांकी

निरमल ग्राम पंचायत झांकी  
जनपद पंचायत अभनपुर

सदस्य - श्रीमती स्वेछा सिंह (महिला), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अभनपुर

हस्ताक्षर

सदस्य - श्री टीकाराम देवांगन, पुनर्व्यवस्थापन विपेशज्ञ (सेवा निवृत्त नायाब तहसीलदार)

संयोजक - श्री मुलचंद चौपड़ा, तहसीलदार, अभनपुर, जिला - रायपुर